जागरण ब्यूरो, पटना : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम (मनरेगा) के तहत अब निजी जमीन पर भी काम होगा। इस नए प्रावधान के कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण विकास विभाग तैयारी कर रहा है। 22 नवंबर को सभी पंचायतों में विशेष ग्राम सभा आयोजित की जाएगी। मनरेगा से अब शौचालय भी बनाए जा सकेंगे। 25 लाख इंदिरा आवास में भी शौचालय बनाने का लक्ष्य है। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव अमृत लाल मीना ने गुरुवार को पत्रकारों को बताया कि निजी जमीन पर तालाब, पोल्ट्री शेड, बकरी पालन के शेड, वर्मी-कम्पोस्ट शेड, कम्पोस्ट, शौचालय बनाए जाने का प्रावधान किया गया है। योजना का चयन किया जा रहा है। जिन्हें लाभ लेना है वे 22 नवंबर को आयोजित ग्राम सभा से पहले अपने आवेदन दे सकते हैं। 2010 से अब तक के लक्ष्य के हिसाब से लगभग 25 लाख इंदिरा आवास में मनरेगा से शौचालय बनेंगे। उन्होंने बताया कि वेबसाइट (डब्लूडब्लूडब्लू.एनआरईजीए.एनआइसी.इन) पर कोई भी चाहे तो मनरेगा की हर जानकारी ले सकता है। किस पंचायत में कौन सी योजना में किस व्यक्ति ने कितना काम क्या है, सब पता चल जाएगा। आम लोग अगर यह जानकारी रखेंगे तो इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने में बहुत मदद मिलेगी। प्रधान सचिव ने कहा कि मनरेगा के लिए आरटीआइ आवेदन डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर जानकारी तो माउस की एक क्लिक पर उपलब्ध है। प्रदेश में लगभग 250 पंचायतें ऐसी हैं जिनके पास 30-30 लाख रुपये वैसे ही पड़े हैं। काम ही नहीं हुआ है। इन्हें एक और मौका दिया जा रहा है। नहीं तो, फिर यह काम वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अभियंत्रण विभाग या किसी अन्य सौंप दिया जाएगा। मीना ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 1075 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। 2500 करोड़ से अधिक खर्च करने का लक्ष्य है। मनरेगा के तहत काम मांगने पर 15 दिनों में काम नहीं देने पर बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। यह भत्ता राज्य सरकार देगी। जिन अधिकारियों के तहत ऐसी स्थिति आएगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब निजी जमीन पर भी मनरेगा से काम

निजता नीति | सेवा की शर्तें | आपके सुझाव
इस पृष्ठ की सामग्री जागरण प्रकाशन लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई है
कॉपीराइट © 2007 याहू वेब सर्विसेज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सर्वाधिकार सुरक्षित
कॉपीराइट / IP नीति